भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण

(सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार)

National Highways Authority of India

(Ministry of Road Transport & Highways, Government Of India)

परियोजना कार्यान्वयन इकाई, जयपुर/ Project Implementation Unit, Jaipur

डी-148, आर. एस.ई.बी. सब-स्टेशन के पीछे, वैशाली नगर, जयपुर-302021

D-148, Behind RSEB Sub-Satation, Vaishali Nagar, Jaipur-302021

दूरभाष / Phone : 91-141 - 4026465, ई-मेल /E-mail : jai@nhai.org

क्रमांक 23061/भाराराप्रा/जेपीआर/वन/2024/ 3809 दिनांक 03.02.2025

उपवन संरक्षक
अलवर

विषयः Diversion of 2.852 Ha forest land for construction of Toll Plaza between Km 115.00 to Km 116 at Delhi & Jaipur section of NH-8 district Alwar, Rajasthan forest diversion proposal under forest conservation Act, 1980.

संदर्भ– 1) इस कार्यालय का पत्रांक 227 दिनांक 29.04.2024
2) आपका पत्र संख्या 7978 दिनांक 10.07.2024
3) इस कार्यालय का पत्रांक 950 दिनांक 12.07.2024
4) आपका पत्र संख्या 8108 दिनांक 18.07.2024
5) इस कार्यालय का पत्रांक 1026 दिनांक 19.07.2024
5) आपका पत्र संख्या 8470 दिनांक 29.07.2024

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासांगिक पत्रों के क्रम में निवेदन है कि उक्त प्रस्ताव के पार्ट–2 में आप द्वारा उल्लंघन के दोषी अधिकारी के रूप में केवल परियोजना निदेशक का नाम अंकित किया गया है, जिसके नाम के सम्बन्ध में आपके पत्र दिनांक 01.04.2022 द्वारा पूछे जाने पर इस कार्यालय के पत्र दिनांक 11.11.2022 द्वारा श्री राकेश गुप्ता, तत्कालीन परियोजना निदेशक के बारे में अवगत करवा दिया गया था।

आपके पत्रांक 315 दिनांक 18.01.2023 एवं मुख्य वन संरक्षक जयपुर के पत्रांक 1423 दिनांक 01.03.2023 द्वारा अग्रेसित रिपोर्ट में उल्लेख किया है कि "तत्कालीन परियोजना निदेशक श्री राकेश गुप्ता थे परन्तु किसी भी अधिकारी द्वारा जानबूझ कर उल्लंघन नहीं किया गया है अतः कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही नही की गयी है।" उक्त संदर्भ को ही नोडल अधिकारी एवं राज्य सरकार द्वारा भारत सरकार को अग्रेसित किया गया था।

कृपया भारत सरकार के ईडीएस दिनांक 15.06.2023 का अवलोकन करें। भारत सरकार द्वारा अवगत करवाया गया है कि उनके पत्र दिनांक 15.05.2023 एवं गजट नोटिफिकेशन द्वारा उल्लंघन के प्रकरण में कार्यवाही करने हेतु सम्बन्धित उपवन संरक्षक को अधिकृत किया गया है। वर्तमान प्रकरण में उक्त अधिसूचना के अनुसार जिम्मेदार अधिकारियों/कर्मचारियों के खिलाफ नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया है।

चूंकि वन विभाग एवं राज्य सरकार द्वारा उपरोक्त वर्णित अनुसार सिफारिश की जा चुकी है कि "किसी भी अधिकारी द्वारा जानबूझकर उल्लंघन नही किया गया है अतः कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही नहीं की गयी है।" अतः भारत सरकार द्वारा प्रदत्त शक्तियों एवं विभाग द्वारा की गयी सिफारिश के क्रम में पुनः निवेदन है कि उक्त प्रकरण को निर्णीत कर समाप्त करने की कृपा करें।

परियोजना निदेशक
भाराराप्रा, पकाई–जयपुर

प्रतिलिपि : नोडल आफिसर (एफसीए), राजस्थान, जयपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।